फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत	जिला कलक्टर	मुकाम	धौलपुर

नरेन्द्र सिंह कुशवाह एडवोकेट बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बरः– 8 सन् 2020
RCMS No. 2020/00017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.05.20	*यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह एडवोकेट एसीजेएम कोर्ट के सामने कोर्ट परिसर धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर) द्वारा स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 02.06.2020 को पेश हो।* **(आर० के० जायसवाल)** **जिला कलक्टर, धौलपुर**	275-276 19/5/2020
13.7.2020	कोरोना महामारी के फैलाव के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर धौलपुर) से टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.02.2020 को आवेदन किया। जिसके सम्बन्ध में पत्रांक 752 दिनांक 5.3.2020 के द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपीलान्ट को उपलब्ध सूचना देने में कोई देरी नहीं की गई है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.07.2013 के बिन्दु सं० 3 में यह स्पष्ट है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना एवं या	

PTO

सूचना की व्यवस्था करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है, जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद हो।"

अतः लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुये प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम किया जावे।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर